राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी–7(ए) सुल्तान हाउस सवाई जयसिंह हाईवे बनीपार्क जयपुर –302016
Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804
Email-id pmcrajasthangov.in@gmail.com, Contact : 0141-4004914

क्रमांकःपं. 38 / पैरामेडि.कौं / मान्यता / 2022 / 350   दिनांक :–10/05/2022

–:: कार्यालय आदेश ::–

Raj Rajeshwari Paramedical Diploma College, Sector 7, Shyopur, Pratap Nagar, Jaipur को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 5889 दिनांक 27.11.2015 संस्थान को Diploma in Opthalmic Technology, Diploma in Blood Bank Technology, पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालन हेतु 25 सीटो की अस्थाई मान्यता दी गई थी। शैक्षणिक सत्र 2021–22 हेतु काउन्सलिंग कर छात्र आवंटन से पूर्व सभी संस्थानो को पत्र क्रमांक 215 दिनांक 22.03.2022 शपथ पत्र चाहा गया था, उक्त पत्र के प्रतिउत्तर में राज राजेश्वरी पैरामेडिकल डिप्लोमा कॉलेज की और से श्री नवल किशोर पारीक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर संस्थान को स्वंय के भवन में शिफ्ट कर लिया है का निवेदन किया, जबकि डॉ. मोहर सिंह मित्रा द्वारा दिनांक 05.04.2022 को प्रार्थना पत्र प्रेषित कर कौंसिल को अवगत करवाया गया कि उक्त कॉलेज के विधिवत संचालन में अनेको व्यक्तियो के मध्य विवाद उत्पन्न हो चुका है जिससे छात्रो का हित प्रभावित हो सकता है।

श्री मोहर सिंह एवं श्री नवल किशोर दोनो के कथनो में विरोधाभास होने पर दोनो को नोटिस जारी कर कारण स्पष्ट करने हेतु निर्देशित किया गया। श्री मोहर सिंह ने उपस्थित होकर कथन किया कि संस्थान को स्थापित करने हेतु उनके द्वारा आवेदन किये जाने पर मान्यता प्रदान की गई थी, वर्तमान में अनाधिकृत व्यक्तियो द्वारा संस्थान का संचालन किया जा रहा है, इसके विपरीत श्री नवल किशोर पारीक द्वारा खुलासा किया गया कि श्री मोहर सिंह द्वारा संस्थान के संबध में श्री हनुमंत सिंह फौजदार से साझेदारी की गई, इसके उपरान्त श्री मोहर सिंह एवं हनुमंत सिंह फौजदार द्वारा श्री आदित्य शर्मा के साथ साझेदारी की तदुपरान्त श्री आदित्य शर्मा द्वारा नवल किशोर पारीक के साथ साझेदारी की गई जिनके साझेदारी पत्र भी प्रस्तुत किये गये उपरोक्त साझेदारी पत्रो के अवलोकन से विदित हुआ कि उपरोक्त संस्थान के संचालन के संबध में उपरोक्त दोनो व्यक्तियो के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित रहे है, इसलिए एक सार्वजनिक सूचना जारी कर लेख किया गया था कि जो भी व्यक्ति राज राजेश्वरी पैरामेडिकल डिप्लोमा कॉलेज के संबध में अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहे वह कौंसिल कार्यालय में दिनांक 19.04.2022 को प्रातः 11:00 बजे व्यक्तिशः उपस्थित होकर अपना पक्ष लिखित में प्रस्तुत कर सकता है।

दिनांक 19.04.2022 को डॉ. मोहर सिंह मित्रा, श्री नवल किशोर पारीक, ओमप्रकाश शर्मा एवं श्री सुरेन्द्र सिह रावत ने उपस्थित होकर अपने अपने पक्ष में लिखित कथन प्रस्तुत किये तथा उनमें आपस में हुये साझेदारी पत्रो को भी प्रस्तुत किया गया, जिसका सारांश निम्नप्रकार है :–

क. प्रथम साझेदारी

1. प्रथम पक्ष हनुमंत सिंह फोजदार 85%
2. द्वितीय पक्ष मोहर सिंह मित्रा 15%

ख. द्वितीय साझेदारी

1. प्रथम पक्ष हनुमंत सिंह फोजदार व मोहर सिह 05%
2. द्वितीय पक्ष आदित्य शर्मा 95%

ग. तृतीय साझेदारी

1. प्रथम पक्ष अनमोल जनहित संस्था जरिये सचिव नवल किशोर पारीक 95%
2. द्वितीय पक्ष हनुमंत सिंह फौजदार एवं मोहर सिह 05%

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी–7(ए) सुल्तान हाउस सवाई जयसिंह हाईवे बनीपार्क जयपुर –302016
Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804
Email-id pmcrajasthangov.in@gmail.com, Contact : 0141-4004914

घ. चतुर्थ साझेदारी

1. नवल किशोर पारीक 47.50%
2. ओमप्रकाश शर्मा 47.50%
3. हनुमंत सिंह फोजदार व मोहर सिह 05%

उपरोक्त के अवलोकन एवं उपस्थित पक्षकारान को सुनने के उपरान्त यह निर्विवादित है कि संस्थान का नियम विरूद्ध संचालन करने के संबंध में विभिन्न व्यक्तियो में आपस में विवाद उत्पन्न हो चुका है, संस्थान के आवेदनकर्ता श्री मोहर सिंह द्वारा तो आवेदन करने की दिनांक 13.07.2015 से पूर्व ही दिनांक 10.07.2015 को देवरथ सोल्यूशन प्रा.लि. जरिये श्री हनुमंत सिह फौजदार के साथ साझेदारी पत्र अवैधानिक रूप से निस्पादित कर लिया गया।

उसके उपरान्त उपरोक्त वर्णित व्यक्तियो के मध्य संस्थान के संचालन के संबंध में अवैधानिक साझेदारी/समझोता पत्र निस्पादित होते गये, अंतोगत्वा उपरोक्त साझेदारो के मध्य उत्पन्न विवाद हो जाने के कारण छात्रहित प्रभावित होने की पूर्ण सम्भावना है। उक्त संस्थान में भविष्य के शैक्षणिक सत्रो के छात्रो के उपरोक्त तथाकथित साझेदारो के विवाद से छात्रहित को संरक्षित किया जाना आवश्यक है। राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल नियम/विनियम 2014 के विनियम 52 (I) के अनुसरण में आवेदन किये जाने पर डॉ. मोहर सिंह मित्रा अध्यक्ष श्री बालाजी हास्पिटल डी–46 परमहंस कॉलोनी मुरलीपुरा जयपुर को मान्यता प्रदान की गई थी, किन्तु उनके द्वारा अवैधानिक रूप से साझेदारी पत्र निस्पादित कर संस्था का संचालन अन्य व्यक्तियो को सौप दिया जाना प्रमाणित होता है। इस प्रकार डॉ. मोहर सिंह मित्रा अध्यक्ष श्री बालाजी हास्पिटल डी–46 परमहंस कॉलोनी मुरलीपुरा जयपुर द्वारा राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल अधिनियम 2008 के नियम/विनियम 2014, 2015 का पूर्णत उल्लंघन किया जाना पाया गया है।

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल एक्ट 2008 की धारा 29 की शक्तियो का प्रयोग करते हुये Raj Rajeshwari Paramedical Diploma College, Sector 7, Shyopur, Pratap Nagar, Jaipur को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 5889 दिनांक 27.11.2015 से Diploma in Opthalmic Technology, Diploma in Blood Bank Technology, हेतु दी गई मान्यता आगामी शैक्षणिक सत्र 2021–22 से वापिस (Withdraw) ली जाती है।

संस्थान की पैरामेडिकल कौंसिल में जमा धरोहर राशि एवं सभी प्रकार की जमा राशि की संस्थान द्वारा निकासी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। तथाकथित साझेदार एवं प्रभावित पक्ष एक दूसरे के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगें।

(कैलाश नारायण मीना)
R.A.S.
रजिस्ट्रार

क्रमांकःपं. 38/पैरामेडि.कौं/मान्यता/2022/350 दिनांकः– 10/05/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. डॉ. मोहर सिंह मित्रा अध्यक्ष श्री बालाजी हास्पिटल डी–46 परमहंस कॉलोनी मुरलीपुरा जयपुर।
2. प्रधानाचार्य, Raj Rajeshwari Paramedical Diploma College, Sector 7, Shyopur, Pratap Nagar, Jaipur.
3. लेखाधिकारी राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर को पालनार्थ।
4. लेखा/मान्यता/काउन्सलिंग/परीक्षा/विधि/पंजीयन/स्टोर शाखा कार्यालय हाजा को पालनार्थ।
5. सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावे।
6. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार